

# Haryana Government Gazette Extraordinary

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 121-2024/Ext.] CHANDIGARH, THURSDAY, AUGUST 8, 2024 (SRAVANA 17, 1946 SAKA)

# हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

# अधिसूचना

दिनांक 8 अगस्त, 2024

संख्या 20/जीएसटी—2.— केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का केन्द्रीय अधिनियम 12) की धारा 110 की उप—धारा (1) के खण्ड (घ) के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, हरियाणा माल और सेवा कर अपीलीय अधिकरणों की राज्य पीठों में तकनीकी सदस्य (राज्य) के रूप में नियुक्ति के लिए, हरियाणा राज्य के अधिकारियों की योग्यता के सम्बन्ध में, उक्त अधिनियम की धारा 110 की उप—धारा (1) के खण्ड (घ) के परन्तुक के अनुसार, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से दस वर्ष की अविध के लिए योग्यता को "ग्रुप क सेवा में या समकक्ष की पच्चीस वर्ष की सेवा पूरी करने" की आवश्यकता से छूट देकर "सरकार में राजपत्र अधिकारी के रूप में कम—से—कम पच्चीस वर्ष की सेवा पूर्ण करने" करते हैं।

केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का केन्द्रीय अधिनियम 12) की धारा 110 की उप—धारा (1) के खण्ड (घ) में निहित सभी अन्य शर्तें भी लागू रहेंगी।

देविंदर सिंह कल्यान, प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग।

## HARYANA GOVERNMENT

## EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

### **Notification**

The 8th August, 2024

**No. 20/GST-2.**— In exercise of the powers conferred by proviso to clause (d) of sub-section (1) of section 110 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (Central Act 12 of 2017), the Governor of Haryana, on the recommendations of the Council, in respect of the qualification of the officers of Haryana for appointment as the Technical Member (State) in the State Benches of Goods and Services Tax Appellate Tribunal hereby, relaxes the qualification from the requirement of "completion of twenty-five years of service in Group A, or equivalent" as per proviso to clause (d) of sub-section (1) of section 110 of the said Act to "completion of at least twenty—five years of service in the Government, as Gazetted Officer," for a period of ten years from the date of publication of this notification.

All other conditions as contained in clause (d) of sub-section (1) of section 110 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (Central Act 12 of 2017) shall also apply.

DEVINDER SINGH KALYAN, Principal Secretary to Government Haryana, Excise and Taxation Department.

11230-C.S.-H.G.P., Pkl.